रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 871] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 6, 2018/अग्रहायण 15, 1940
No. 871] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 6, 2018/AGRAHAYANA 15, 1940

IndiaCode

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1181(अ).—केन्द्र सरकार, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अधिनियम, 2017 (2017 का 33) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. **लघु शीर्ष और प्रारंभ –** (1) इन नियमों को भारतीय प्रबंधन संस्थान नियम, 2018 कहा जाएगा।
(2) ये नियम अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन नियमों के संदर्भ से जब तक अन्यथा अपेक्षित ना हो, -
क) "अधिनियम" भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का 33) से अभिप्रेत है; और
ख) "निदेशक" इस अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) के तहत नियुक्त निदेशक से अभिप्रेत है।
(2) यहां प्रयुक्त शब्द और परिभाषाएं जो यहां आगे परिभाषित नहीं हैं, किन्तु, अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम में परिभाषित है;

3. **बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया-**

(i) अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया वर्तमान पदधारी के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व शुरू होगी और वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति से 30 दिन पूर्व पूरी कर ली जाएगी:
बशर्ते, यदि अध्यक्ष पद के लिए चयन प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूरी नहीं होती तो, बोर्ड सदस्य तीन माह से अनधिक अवधि या नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति, जो भी पहले हो, के लिए अपने में से कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनेंगे।

(ii) यदि रिक्ति, अध्यक्ष के त्याग-पत्र या मृत्यु के कारण उत्पन्न होती है, तो बोर्ड सदस्य तीन माह से अनधिक अवधि या नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति, जो भी पहले हो, के लिए अपने में से कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनेंगे।

(iii) बोर्ड द्वारा उपस्थित सदस्यों के बहुमत निर्णय और मदतान के माध्यम से खोज-सह-चयन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रशासकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट्स और प्रबंधन विशेषज्ञों से चुने गए 05 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे और खोज-सह-चयन समिति बैठक के लिए कोरम समिति सदस्यों का दो-तिहाई भाग होगा।

(iv) अधिनियम में निर्धारित अर्हताओं के अलावा, केवल ऐसे व्यक्ति, जिसने नियुक्ति की तारीख को 70 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, हितों के प्रति टकराव नहीं रखता है, और दो कार्यकाल पूरे नहीं किए हैं, की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

(v) अध्यक्ष का कार्यकाल, 74 वर्ष की आयु पूरी होने या अध्यक्ष के रूप में 04 वर्ष पूरे करने, जो भी पहले हो, पर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।

(vi) खोज-सह-चयन समिति तीन नाम प्रस्तुत करेगी, जो अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) के खंड (क) में निर्धारित की गई अर्हताएं रखते हों।

(vii) खोज-सह-चयन समिति द्वारा सुझाए गए नामों के अलावा बोर्ड वर्तमान अध्यक्ष के नाम पर विचार कर सकता है, बर्शते, उन्होंने दो वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया हो।

(viii) अध्यक्ष का चयन वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम 30 दिन पूर्व बुलाए जाने वाले विशेष सत्र में 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थित बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति में, कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की सहमति और मतदान से किया जाएगा।

(ix) किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने से पहले, उसे इस आशय की घोषणा करनी होगी कि वह संस्थान के मामलों के प्रति किसी प्रकार का कोई हित टकराव नहीं रखता है और यदि किसी मामले में, उसके कार्यकाल के दौरान, बाद में कोई हित टकराव पैदा होता है, तो वह अविलम्ब पद से त्याग-पत्र दे देगा।

(x) किसी भी अध्यक्ष को कम से कम 15 दिन का नोटिस देकर बुलाए गए विशेष सत्र, जहां अध्यक्ष स्वयं आपत्ति करेगा, में 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थित बोर्ड सदस्यों में से दो-तिहाही सदस्यों की सहमति और मतदान के बिना नहीं हटाया जा सकता।

(xi) शासी बोर्ड के सचिव द्वारा अध्यक्ष को हटाने के लिए कार्यसूची पर विचार करने के लिए शासी बोर्ड का विशेष सत्र, बोर्ड के 1/3 से अधिक सदस्यों से नोटिस मिलने पर बुलाया जाएगा।

(xii) यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो अथवा अध्यक्ष का पद रिक्त हो, बोर्ड, शासी बोर्ड के एक सदस्य का बैठक की अध्यक्षता के लिए चयन करेगा।

4. बोर्ड के गैर-पदेन सदस्यों की नियुक्ति के लिए नियम व शर्तें

1. संस्थान का बोर्ड अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के भाग (घ) और भाग (छ) के अंतर्गत सदस्यों का चयन करने के लिए 'शासी बोर्ड नामांकन समिति' बनाएगा जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष, एक प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे और बोर्ड द्वारा एक पूर्व सदस्य का चयन किया जाएगा। समिति, बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार काम करेगी। शासी बोर्ड नामांकन समिति' के लिए कोरम, समिति के 2/3 सदस्य होंगे।

2. बोर्ड की सभी रिक्तियां अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुसार भरी जाएंगी और रिक्ति को रिक्त होने की तारीख से 30 दिन पहले भरा जाता है।

3. अधिनियम में निर्धारित की गई अर्हताओं के अलावा, नियम के तहत सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए केवल ऐसे व्यक्तियों पर ही विचार किया जाएगा जिनकी आयु नियुक्ति की तारीख को 70 वर्ष से अधिक नहीं है और जिन्होंने दो कार्यकाल पूरे न किए हों।

4. बोर्ड के गैर-पदेन सदस्यों का कार्यकाल, 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने या सदस्य के रूप में 4 वर्ष पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो, स्वत: समाप्त हो जाएगा।

5. बोर्ड का कोई भी सदस्य (अध्यक्ष सहित) सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी यदि वह :-

I. अपनी सदस्यता छोड़ देता/देती है, अथवा

II. मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता/जाती है, अथवा

III. दिवालिया हो जाता/जाती है, अथवा

IV. ऐसे किसी अपराध में दोषी सिद्ध होता/होती है जिसमें नैतिक पतन हो, अथवा

V. वह संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता/लेती है, अथवा

VI. वह अध्यक्ष की अनुमति के बगैर लगातार बोर्ड की तीन बैठकों में भाग नहीं लेता/लेती है।

(6) बोर्ड अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (छ) के तहत सदस्यों का सह-चुनाव करेगा जो संस्थान के ऐसे पूर्व सदस्य हैं जिन्होंने कम से कम एक वर्ष के दीर्घावधि नियमित कार्यक्रम में भाग लिया हो:

बशर्ते कि संस्थान जो 20 वर्ष से कम अवधि से विद्यमान है, किसी अन्य संस्थान के पूर्व सदस्यों को अपने-अपने शासी बोर्ड के सदस्यों का रूप में सह-चयन कर सकते हैं।

(7) संबंधित संस्थान के संकाय के 2 सदस्यों को बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ड) के तहत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जा सकता है।

बशर्ते कि, उन संस्थानों के लिए, जो 10 वर्ष से कम अवधि से विद्यमान है, मैंटर संस्थान के संकाय सदस्यों को बोर्ड में मनोनीत किया जाए।

8. किसी सदस्य की सदस्य के रूप में नियुक्ति से पहले वह इस आशय की घोषणा करेगा अथवा करेगी कि संस्थान के कार्यों के संबंध में उसके हितों में किसी भी प्रकार का टकराव नहीं है और यदि उनके कार्यकाल की अवधि के दौरान बाद में ऐसा कोई हितों का टकराव होता है तो वह अपने पद से तत्काल त्यागपत्र दे देगा/देगी।

बशर्ते, इसके अतिरिक्त कि यदि पूछताछ की समुचित प्रक्रिया के बाद यदि यह सिद्ध हो जाता है कि बोर्ड के किसी सदस्य के हितों के टकराव है और बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कथित हितों के टकराव से संस्थान का हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, तब बोर्ड यह निर्णय ले सकता है कि कथित सदस्य, बोर्ड की कार्रवाईयों में हिस्सा नहीं लेगा/लेगी।

6. बोर्ड के कार्य- अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) से (फ) के तहत निर्धारित कार्यों के अलावा, सभी संस्थान एक तीन वर्षीय कार्य-योजना, 5 वर्षीय कार्यनीतिक कार्य योजना और 15 वर्षीय लक्ष्य योजना बनाकर इसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

7. संस्था के निदेशक की सेवा के नियम और शर्तें-

(1)

I. निदेशक के पद के लिए आवेदक की आयु, पद का विज्ञापन देने के वर्ष की पहली जनवरी को 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

II. निदेशक नियुक्ति के कार्यकाल के लिए, जैसाकि अधिनियम में निर्धारित की गई अवधि अथवा जब तक उसकी आयु 65 वर्ष नहीं हो जाती, जो भी पहले हो, तक कार्य करेगा।

III. आवेदक के पास पीएच.डी के साथ विशिष्ट शैक्षणिक अथवा कम से कम 15 वर्ष के शिक्षण अथवा शोध अनुभव के साथ समकक्ष अर्हता हो, उसने कम से कम 7 वर्ष तक किसी प्रतिष्ठित संस्था में एक पूर्णकालिक प्रोफेसर के पद पर काम किया हो; अथवा उसे उद्योग का उच्च स्तर पर कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो।

IV. किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक कार्यकाल के लिए निदेशक नियुक्त नहीं किया जाएगा।

V. बोर्ड द्वारा निदेशक की नियुक्ति केवल तभी की जाएगी जब वह सरकारी नियंत्रण वाले किसी संगठन में कार्यरत हो, संबंधित संस्थान जहाँ वह कार्यरत है, यथा सत्यापित सतर्कता क्लीयरेंस दी गई हो और गैर-सरकारी व्यक्ति के मामले में, उसके पूर्ववृत के संबंध में पुलिस सत्यापन के पश्चात कोई प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट न पाई गई हो।

VI. निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु प्रस्तावित व्यक्ति भारतीय नागरिक या प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) होगा।

VII. यदि किसी कारण से निदेशक के पद की आकस्मिक रिक्ति होती है, तो पद को नियमित आधार पर भरे जाने की प्रक्रिया, ऐसी रिक्ति की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

VIII. यदि, निदेशक एक माह से अधिक की अवधि से किसी विदेशी यात्रा या छुट्टी पर है, तो संस्थान का वरिष्ठतम प्रोफ़ेसर अथवा संस्थान के डीन में से किसी एक को निदेशक के रूप में नामित किया जाएगा।

IX. निदेशक बोर्ड को तीन माह का नोटिस देकर अपना पदत्याग कर सकता है, जिसे स्वीकार किया गया माना जाएगा, यदि तीन माह की अवधि के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता और निदेशक को नोटिस अवधि की समाप्ति पर कार्यमुक्त माना जाएगा। यदि इस विषय पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है। निदेशक नोटिस अवधि के भीतर किसी भी समय अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है,

बशर्ते कि, यदि बोर्ड निर्णय करता है कि निदेशक को नोटिस अवधि के पूरा हुए बिना तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया जाए, तो निदेशक को शेष नोटिस अवधि के वेतन का भुगतान करके कार्यमुक्त किया जा सकता है।

X. बोर्ड द्वारा निदेशक को अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (7) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है।

XI. किसी भी निदेशक को तब तक पद से हटाया नहीं जाएगा जब तक बोर्ड, पचास प्रतिशत से अधिक बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति में दो तिहाई सदस्यों के मतदान से निदेशक को पद से हटाए जाने की अनुमति नहीं देता।

XII. निदेशक, किसी निलंबन अवधि और बिना वेतन अवकाश की अवधि को छोड़कर, अपनी सेवा की अवधि के दौरान, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, लेवल 17 में वेतनमान के हकदार होंगे।

XIII. निदेशक, भारत सरकार के नियमानुसार समय-समय पर स्वीकार्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, आदि पाने के हकदार होगा।

XIV. निदेशक, संस्थान परिसर में संस्थान के शासी बोर्ड द्वारा यथासंस्वीकृत निःशुल्क लाइसेंस शुल्क के साथ सुसज्जित कार्यालय-सह-आवासीय आवास के लिए हक़दार होगा जिसमें उसको सुसज्जित करने और सजावट का नवीकरण किए जाने के लिए, विनियमों द्वारा निर्धारित सीमा के अध्यधीन प्रावधान होगा और उसकी अधिकतम सीमा पांच वर्ष के पूरे कार्यकाल के दौरान मूल वेतन की चार गुना होगी। सभी साजो-सामान संस्थान की संपत्ति होगी।

XV. निदेशक, भारत सरकार के स्टाफ कार नियमानुसार आधिकारिक उपयोग हेतु स्टाफ कार के लिए पात्र होंगे। निदेशक को कार के व्यक्तिगत उपयोग के लिए भारत सरकार के स्टाफ कार नियमो के अनुसार शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

XVI. निदशक को आवास पर और आवास से बाहर अधिकारिक अतिथियों के आदर-सत्कार हेतु प्रति माह मूल वेतन का चार प्रतिशत अतिथि भत्ता देय होगा। इस उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार का वाउचर प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है, एक सामान्य व्यय विवरण प्रतिपूर्ति हेतु पर्याप्त होगा।

XVII. निदेशक, संस्थान में कार्यभार ग्रहण के समय परिवहन और यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए एक माह के मूल वेतन का हक़दार होगा।

XVIII. निदेशक, संस्थान के यात्रा भत्ता नियमानुसार यात्रा भत्ता पाने के हक़दार होंगे। निदेशक, भारत सरकार के नियमानुसार एलटीसी पाने का हक़दार होगा।

XIX. निदेशक, बोर्ड द्वारा समय-समय पर बनाए गए विनियमों के अनुसार अन्य बोर्डों आदि में रॉयल्टी और परामर्श शुल्क, बैठक शुल्क पाने का पात्र होगा।

(2) निदेशक, संस्थान के स्थायी गैर-अवकाश वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य छुट्टी के हकदार होंगे और संस्थान के नियमानुसार संस्थान की भविष्य निधि या पेंशन या अंशदायी भविष्य निधि के सदस्य होंगे।

(3) निदेशक, संस्थान के नियमानुसार चिकित्सा लाभ और उपचार के संबंध में विशेष सुविधा के पात्र होंगे।

(4) निदेशक, अधिनियम के लागू होने से पूर्व, नियुक्त किये गए निदेशक, अपने कार्यकाल की शेष अवधि जारी रखेंगे और इन नियमों के तहत प्रदत्त लाभ के पात्र होंगे।

[फा.सं. 8-24/2017-टी.एस. V]

संजय कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2018

G.S.R. 1181(E).—In exercise of the powers conferred by section 34 of the Indian Institutes of Management Act, 2017 (33 of 2017) the Central Government, hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement -** (1) These rules may be called the Indian Institutes of Management Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions -** (1) In these Rules, unless the context otherwise requires -

a) "Act" means the Indian Institutes of Management Act, 2017 (33of 2017); and

b) "Director", means the Director of the Institute appointed under sub-section (2) of section 16 of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings assigned to them in the Act;

3. **Appointment procedure of Chairperson of the Board –**

(i) The appointment process of Chairperson shall begin at least three months prior to the completion of the tenure of the current incumbent and shall be completed thirty days before the completion of tenure of the current incumbent:

Provided that if the process of selection for the post of Chairperson is not completed within the time prescribed, the Board members from amongst themselves shall elect an acting Chairperson for a period not exceeding three months or till a regular Chairperson is appointed, whichever is earlier.

(ii) In case of vacancy arising out of resignation or death of the current incumbent, the Board members from amongst themselves shall elect an acting Chairperson for a period not exceeding three months or till a regular Chairperson is appointed, whichever is earlier.

(iii) There shall be a Search-cum-Selection Committee comprising of five eminent persons chosen from amongst administrators, industrialists, educationists, scientists, technocrats and management specialists to be constituted by the Board by a majority decision of the members present and voting and the quorum for Search-cum-Selection Committee meeting shall be two third of the members of the Committee.

(iv) Apart from the qualifications laid down in the Act, only such persons who have not completed seventy years of age as on the date of appointment, have no conflict of interest, and have not completed two terms, shall be considered for appointment as Chairperson.

(v) The tenure of Chairperson shall automatically come to an end, on completion of seventy four years of age or completion of four years as Chairperson, whichever is earlier.

(vi) The Search-cum-Selection Committee shall submit three names who possess the qualifications provided in clause (a) of sub-section (2) of Section 10 of the Act.

(vii) Apart from the names submitted by the Search-cum-Selection Committee, the Board may consider the name of the current incumbent provided the current incumbent has not completed two terms.

(viii) The selection of the Chairperson shall be made with the consent of at least two thirds of the members present and voting and more than fifty percent of the members of the Board in a special session to be convened at least thirty days prior to the completion of the tenure of the current incumbent.

(ix) Prior to the appointment of a person as Chairperson, he or she shall give a declaration that he or she has no conflict of interest in any manner with the affairs of the institute, and in case, any such conflict of interest arises at any later period during his or her tenure, shall resign from the position forthwith.

(x) No Chairperson can be removed except with consent of at least two thirds of the members present and voting and more than fifty percent of the members of the Board in a special session to be convened by giving at least fifteen days notice, from which the Chairperson shall recuse himself.

(xi) The special session of the Board of Governors to consider the agenda for removal of the Chairperson shall be convened by the Secretary to the Board of Governors on receipt of a Notice to the effect from not less than one third members of the Board.

(xii) In the event of absence or in the event of vacancy of the post of Chairperson, the Board shall elect one

of the members of the Board of Governors to Chair the meeting.

4. **Terms and conditions for the appointment of non ex-officio members of the Board -**

(1) For selecting members under clause (d) and (g) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 10 of the Act, the Board of an Institute shall constitute a "Board of Governors nominations Committee" consisting of the Chairperson of the Board, one eminent person and one alumni to be selected by the Board. The Committee shall act in accordance with the regulations made by the Board. The quorum for Board of Governors nominations Committee shall be two thirds of the members of the Committee.

(2) All vacancies in the Board shall be filled up as per the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder and the vacancy is filled up thirty days prior to the date of arising of the vacancy.

(3) Apart from the qualifications laid down in the Act, only such persons who have not completed seventy years of age as on the date of appointment and have not completed two terms, shall be considered for appointment as members under the rule.

(4) The tenure of non-ex-officio members of the Board shall automatically come to an end, on completion of seventy four years of age or on completion of four years as members, whichever is earlier.

(5) A member of the Board (including the Chairperson) shall cease to be such member if he or she :-

(i) resigns his or her membership; or
(ii) becomes of unsound mind; or
(iii) becomes insolvent; or
(iv) is convicted of criminal offence involving moral turpitude; or
(v) he or she accepts a full time appointment in the Institute; or
(vi) he or she fails to attend three consecutive meetings of the Board without the leave of the Chairperson.

(6) The Board shall co-opt members under clause (g) of sub-section (2) of section 10 of the Act who are alumnus of the institution, who have attended a long duration regular programme of not less than one year:

Provided that institutes which are in existence for less than twenty years can co-opt alumni of any other institute as member of their Board of Governors.

(7) Two members of the faculty of the respective institute shall be nominated by the Chairperson under clause (e) of sub-section (2) of section 10 of the Act, as per the regulations made by the Board:

Provided that for the Institutes which are less than ten years of existence, faculty members of the mentor institute may be nominated on the Board.

(8) Prior to the appointment of a person as member, he or she shall give a declaration that he or she has no conflict of interest in any manner with the affairs of the institute, and in case, any such conflict of interest arises at any later period during his or her tenure, shall resign from the position forthwith.

Provided further that if after a due process of inquiry, it is established that there is a conflict of interest of a Board Member and the Board comes to a conclusion that the said conflict of interest is adversely affecting the interest of the institute, then the Board may decide the said member shall not participate in the proceedings of the Board.

6. **Functions of the Board –** In addition to the functions specified under clause (a) to (v) of sub-section (2) of section 11 of the Act, all institutes shall prepare a three years action plan, five years strategic plan and a fifteen years vision plan and submit it to the Government.

7. **Terms and conditions of service of the Director of the Institute -**

(1)

(i) The age of applicant for the post of Director shall not be more than sixty years as on first day of January of the year of advertisement for the post.

(ii) The Director shall hold office for the tenure of appointment as specified in the Act or till he or she completes the age of sixty five years, whichever is earlier.

(iii) The applicant shall be a distinguished academic with PhD or equivalent having at least fifteen years teaching or research experience and shall have worked as a full Professor at a reputed institution for at least seven years; or shall have industry experience at a higher level for at least fifteen years.

(iv) No person shall be appointed as Director for more than two terms.

(v) The Director shall be appointed by the Board only after he or she, in case he or she is employed in an organization within the control of Government is clear from vigilance angle as certified by the institute concerned in which he or she is working, and in case of private person, no adverse police report is found after the police verification of his or her antecedents.

(vi) The person proposed to be appointed as Director shall be an Indian Citizen or a Overseas Citizen of India (OCI).

(vii) In case of sudden vacancy of post of Director on account of any reason, the process for filling up the post on regular basis shall be completed within a period of six months from the date of such vacancy.

(viii) In case, if the Director is on leave or on tour abroad for a period of more than a month, the senior most Professor of the institute or one of the Deans of the Institute shall be nominated as Director.

(ix) The Director may resign from the post by giving three months notice to the Board, which shall be deemed to be accepted, if no decision is taken within the three month period and the Director shall stand relieved on the expiry of notice period. The Director may withdraw his resignation at anytime of the notice period, if no decision has been taken on the subject:

Provided that, if the Board decides that the Director may be relieved with immediate effect without completion of the notice period, then the Director may be relieved by paying him salary for the remaining notice period.

(x) The Director may be removed by the Board in accordance with the procedure prescribed under sub-section (7) of section 16 of the Act.

(xi) No Director shall be removed unless the Board approves the removal of Director with two thirds of the members present and voting and more than fifty percent of the members of the Board.

(xii) During the period of his service except in respect of any period of suspension and also of any period of leave without pay, the Director shall be entitled to the Pay Scale in level 17, as revised from time to time by the Government of India.

(xiii) The Director is entitled to draw allowances like Dearness Allowance, etc. as may be admissible from time to time as per rules of the Government of India.

(xiv) The Director shall be entitled to a furnished office-cum-residential accommodation in the campus of the Institute, free of license fee as may be sanctioned by the Board of Governors of the Institute, with provision for furnishing or renewal of furnishing subject to the limits as may be specified by regulations subject to a maximum limit of four times of the basic pay in a full tenure of five years. All the furnishings and fixtures shall be the property of the Institute.

(xv) The Director shall be eligible for staff car as per the scale under the staff car rules of Government of India for official use. For personal use of the car, the Director shall be liable to pay charges as per staff car rules of Government of India.

(xvi) The Director shall be paid entertainment allowance as per the regulations of the institute for entertainment of official guests at the residence and also outside the residence up to four percent of the basic pay per month. No voucher is required to be submitted for the purpose, a simple statement for expenditure shall be suffice for reimbursement.

(xvii) The Director shall be entitled for reimbursement of transport and travelling allowance of one month's basic salary, at the time of joining the institute.

(xviii) The Director shall be entitled to travelling allowance as per the Travelling Allowance Rules of the Institute and shall be entitled to leave travel concession as per the rules of the Government of India.

(xix) The Director shall be allowed to retain royalties and consultancy fee, sitting fee in other Boards etc., as per the regulations made by the Board.

(2) The Director shall be entitled to leave as admissible to permanent non-vacation employees of the Institute and shall be a member of the institution's Provident Fund or Pension or Contributory Provident Fund Scheme as per the rules of the institute.

(3) The Director shall be eligible for privilege in relation to medical attendance and treatment as per rules of the Institute.

(4) The Directors appointed before the coming into force of the Act, shall continue for balance period of their term and shall be eligible for benefits provided under these rules.

[F.No. 8-24/2017-TS.V]
SANJAY KUMAR SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.12.11 13:22:10 +05'30'